

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

52

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।

सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र



ग्राम : यूनीवर्सिटी  
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801  
(कार्यालय)  
2442462 (निवास)  
फैक्स : (0091-0751-234768  
E-mail :  
jureg\_gwl@rediffmail.com  
Website :  
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर  
क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/ 1549

दिनांक : 28/2/14

## // अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04 जनवरी, 2014 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार एस.डी.एम.जे. महाविद्यालय, जौरा रोड़ मुरैना को सत्र 2013-14 के लिये प्रस्तावित/संचालित, बी.ए. तृतीय वर्ष, (आ.पा. इतिहास, राजनीतिशास्त्र, हिन्दी, अंग्रेजी, अति.वि.) बी.एस-सी. तृतीय वर्ष, (आ.पा., गणित, भौतिक, रसायन, प्राणी एवं वनस्पति, अति.वि.) बी.कॉम. तृतीय वर्ष एवं बी.सी.ए. तृतीय वर्ष पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

### शर्तें/प्रतिबंध :-

1. 28(17) के अंतर्गत प्राचार्य, शैक्षणिक स्टॉफ, लाइब्रेरियन एवं खेल अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्यतः तीन माह के अंदर करें अन्यथा अगले सत्र की सम्बद्धता पर विचार न किया जावे।
2. 25000/- हजार की पुस्तकें क्रय करें।
3. साइंस प्रयोगशालाओं हेतु 50,000/- के उपकरण क्रय करें।
4. शिक्षकों को वेतन चेक से देवे।
5. शासी निकाय की बैठक नियमित रूप से आयोजित करे।
6. एन.एस.एस. इकाई की स्थापना करें।
7. परिनियम 27, 28 का पालन करें।

नोट :- महाविद्यालय को पत्र लिखा जावे कि, समिति द्वारा लगाई गई शर्तों/प्रतिबंधों की पूर्ति अनिवार्य रूप से मार्च, 2014 तक कर ली जावे अन्यथा आगामी सत्र की सम्बद्धता पर विचार नहीं किया जावेगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, एस.डी.एम.जे. महाविद्यालय, जौरा रोड़ मुरैना ।
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)